भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2015
गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानन सुरक्षा चूक

2015. श्री सुदामा प्रसादः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने दिल्ली और मुंबई सहित प्रमुख विमानपत्तनों पर डीजीसीए की निगरानी में चिह्नित गंभीर विमानन सुरक्षा खामियों की जिम्मेदारी ली है, जिसमें पुराने मैनुअल, परिचालन संबंधी खामियां और खराब दस्तावेज शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले विमानपत्तन प्रचालकों और एजेंसियों के विरुद्ध की गई विशेष कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और बार-बार उल्लंघन के बावजूद निलंबन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह मानती है कि सुरक्षा मानकों को लागू करने में ऐसी व्यवस्थागत विफलताओं के कारण लाखों यात्रियों को रोजाना जोखिम का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डीजीसीए में लंबे समय से स्टाफ की कमी को देखते हुए लेखापरीक्षा के अलावा विमानन सुरक्षा गवर्नेस में तुरंत सुधार किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इरादा कब तक लेखापरीक्षा के परिणाम जारी करने और निर्धारित समय से की-गई कार्रवाई रिपोर्ट जारी करने का है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख) : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास निगरानी ऑडिट के माध्यम से विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों पर एक सुदृढ़ तंत्र है। यात्री संरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक विमानन संरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए, नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित संरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया है। संरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया में निगरानी, स्पॉट चेक और नियामक ऑडिट शामिल हैं। इसके अलावा, अनुमानित जोखिम के अनुसार विशेष ऑडिट भी किए जाते हैं।

प्रमुख हवाईअड्डों पर हाल ही में निगरानी ऑडिट के दौरान, कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं पाई गई। सभी टिप्पणियों को स्तर II के रूप में वर्गीकृत किया गया था और संबंधित एयरोड्रोम प्रचालकों को सूचित किया गया था। इसके अलावा, प्रचालकों द्वारा कार्रवाई पूरी होने के बाद, उन्हें बंद कर दिया गया।

(ग): नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) धारा 4, श्रृंखला ख, भाग I और धारा 4, श्रृंखला च, भाग I में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के संतोषजनक अनुपालन के बाद हवाईअड्डा लाइसेंस जारी किया जाता है। एयरोड्रोम प्रचालक एयरोड्रोम लाइसेंस की वैधता के दौरान हवाईअड्डों को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं और इसे डीजीसीए द्वारा नियमित रूप से निगरानी निरीक्षण करके सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार एयरोड्रोम प्रचालक के विरूद्ध प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ की जाती है।

(घ): नागर विमानन क्षेत्र के वर्तमान और भविष्य के विस्तार, प्रभावी पर्यवेक्षण और संरक्षा विनियामक के रूप में डीजीसीए की बढ़ी हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए, डीजीसीए के पुन:संरचना के अंश के रूप में पिछले 3 वर्षों के दौरान 441 पद सृजित किए गए हैं। डीजीसीए के कुल 1630 स्वीकृत पदों में से 836 पद वर्तमान में भरे हुए हैं।

पिछले 4 महीनों में, डीजीसीए में कार्यबल को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i. 22 अधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया है ।

ii. 42 अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) का कार्य पूरा हो गया है।

iii. 62 तकनीकी अधिकारियों, 5 उड़ान प्रचालन निरीक्षकों (एफओआई) और 8 आशुलिपिकों
का चयन किया गया है।

iv. 121 प्रचालन अधिकारियों के लिए परीक्षा आयोजित की गई है।

(ड.): लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डों पर नियमित संरक्षा निरीक्षण एक सतत गतिविधि है और इसे डीजीसीए की वेबसाइट पर प्रकाशित वार्षिक निगरानी योजना के अनुसार किया जाता है। इस तरह के निरीक्षणों के दौरान पाए गए निष्कर्षों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों को सूचित किया जाता है और नियमित अंतराल पर डीजीसीए द्वारा इसकी निगरानी की जाती है।

******